न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./53/2021

राजेन्द्र पुत्र श्री मक्खन जाति गूजर निवासी ग्रांम बंजी तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–राजेश पुत्र जवाहर सिंह
2–मोहनदेई पत्नी जवाहरसिंह
3–राजदेई पत्नी जवाहरसिंह
4–रेखा पुत्री जवाहर सिंह

जाति जाटव निवासी बंजी तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली वमुकदमा अन्तर्गत धारा 235 आर. टी.एक्ट प्रकरण संख्या 4/2018 उनवानी दावा राजेश वगेरा राजेन्द्र वगैरा न्यायालय तहसीलदार भरतपुर ।

———

उपस्थितः–
1–श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री पुष्पेन्द्र चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक 21.6.2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि एक दावा संख्या 4/2018 उनवानी दावा राजेश वगेरा न्यायालय तहसीलदार भरतपुर के यहॉ विचाराधीन है। दावा में अप्रार्थीगण की साक्ष्य चल रही है, अप्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं प्रार्थी वकील अप्रार्थीगण के गवाहन से जिरह नहीं करना चाहते हैं। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के वकील चाहते हैं कि साक्ष्य बन्द कर बहस सुन कर दावा का निस्तारण कर दिया जावे। दावा में विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है रास्ते की भूमि का आंबटन गैर कानूनी रुप से करा लिया है, आंबटन को निरस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 14(4) श्रीमान न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थीगण तहसीलदार जी से मिलकर प्रकरण में निर्णय कराना चाहते हैं। तहसीलदार भरतपुर से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को तहसीलदार भरतपुर के यहॉ से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिली किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उसके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य ही उसकी बहस शुमार की जावे। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी. का कहना है कि उसके जबाब में अंकित कथन ही उसकी बहस शुमार की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों पर गौर किया। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने जुबानी आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके जुबानी आरोपों की पुष्टी होती हो। प्रार्थी ने काल्पनिक मनगढ़त झुठे आरोप लगाये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश करने का उद्वेश्य मात्र तहसील में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.6.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर